भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2408

उत्तर देने की तारीख-04/08/2025

उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव

†2408. **श्री के. राधाकृष्णनः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विगत दस वर्षों के दौरान आईआईटी, आईआईएम, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की आत्महत्या के मामलों का आंकड़ा है;
(ख) यदि हाँ, तो वर्षवार और संस्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान इन संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव के कोई विशिष्ट मामले सामने आए हैं;
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और
(ङ) सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा उक्त संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के साथ भेदभाव को रोकने और उनके लिए मानसिक स्वास्थ्य, सहायता और समावेशी वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) पुलिस द्वारा दर्ज आत्महत्या के मामलों से आत्महत्याओं संबंधी आंकड़े एकत्र करता है। देश में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या से संबंधित आंकड़ों का व्यापक विश्लेषण, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा वार्षिक रूप से भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या (एडीएसआई) रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाता है। छात्र आत्महत्याओं का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा एडीएसआई रिपोर्ट में उपलब्ध है, जो

https://ncrb.gov.in/accidental-deaths-suicides-in-india-year-wise.html पर देखा जा सकता
है।

सरकार आत्महत्या की घटनाओं से बचने के लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों और परिवारों को मानसिक और भावनात्मक कल्याण हेतु मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के साथ-साथ बहुआयामी उपाय कर रही है। शिक्षा मंत्रालय की एक पहल, मनोदर्पण, छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मानसिक और भावनात्मक कल्याण हेतु मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करती है।

मानसिक विकारों की समस्या से निपटने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) कार्यान्वित कर रहा है। एनएमएचपी के अंतर्गत डीएमएचपी घटक का उद्देश्य स्कूलों और कॉलेजों में आत्महत्या रोकथाम सेवाएं, कार्यस्थल तनाव प्रबंधन, जीवन कौशल प्रशिक्षण और परामर्श प्रदान करना है।

देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए वर्ष 2022 में एक "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" और वर्ष 2024 में टेली मानस मोबाइल एप्लिकेशन शुरू किया गया है। आज तक की स्थिति के अनुसार, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्यों में 53 टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग (मानस) प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। हेल्पलाइन नंबर पर 24.50 लाख से अधिक कॉलों को सुना गया है।

शिक्षा में समता और समावेशन के मुद्दे को हल करने के लिए, सरकार ने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है और पहलें की हैं। यूजीसी (उच्चतर शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2012 को अधिसूचित किए गए हैं, जो इसके क्षेत्राधिकार में आने वाली सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं पर लागू है। इसमें एचईआई द्वारा विद्यार्थियों की जाति, पंथ, धर्म, भाषा, जातीयता, लैंगिकता और दिव्यांगता के प्रति किसी भी पूर्वाग्रह के बिना उनके हितों की रक्षा के लिए उपाय करने का प्रावधान है। इस विनियम में प्रत्येक विश्वविद्यालय में समान अवसर प्रकोष्ठ की स्थापना और भेदभाव-विरोधी अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। इसमें विद्यार्थियों, शोधार्थियों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों सहित संकाय को सेवाएं प्रदान करने के लिए पेशेवर रूप से प्रशिक्षित परामर्शदाताओं के साथ परामर्श केन्द्रों की स्थापना का भी प्रावधान है।

छात्रों के हितों की रक्षा के लिए यूजीसी (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 तैयार किए गए हैं। इस विनियम के अनुसार, विश्वविद्यालयों द्वारा छात्र शिकायत निवारण समिति का गठन करना और लोकपाल की नियुक्ति करना आवश्यक है।

यूजीसी ने उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में रैगिंग की समस्या को रोकने के लिए वर्ष 2009 में विनियम भी अधिसूचित किए थे, जिनमें दिनांक 29 जून, 2016 को संशोधन किया गया है ताकि सभी जाति-

आधारित भेदभाव को रैगिंग के दायरे में लाया जा सके। उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में रैगिंग को रोकने के लिए, यूजीसी ने 12 भाषाओं में राष्ट्रव्यापी टोल फ्री 24x7 एंटी रैगिंग हेल्पलाइन 1800-180-5522 शुरू की है, जिसका उपयोग रैगिंग संबंधी घटनाओं के पीड़ित छात्र कर सकते हैं।

एससी/एसटी छात्रों के किसी भी मुद्दे का सक्रिय रूप से समाधान करने के लिए, संस्थानों ने एससी/एसटी छात्र प्रकोष्ठ, समान अवसर प्रकोष्ठ, छात्र शिकायत प्रकोष्ठ, छात्र शिकायत समिति, छात्र सोशल क्लब, संपर्क अधिकारी, संपर्क समिति आदि जैसे तंत्र स्थापित किए हैं।

यूजीसी ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम कार्यनीति के संबंध में दिनांक 06.01.2023 को एचईआई को परामर्शिका जारी की।

इसके अतिरिक्त, यूजीसी ने दिनांक 13.04.2023 को एचईआई में शारीरिक फिटनेस, खेल, विद्यार्थी स्वास्थ्य, कल्याण, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने दिनांक 10.07.2023 को उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में छात्रों के भावनात्मक और मानसिक कल्याण के लिए एक व्यापक रूपरेखा भी प्रसारित की है, जिसमें संस्थागत कार्यप्रणाली में इसे शामिल करने और छात्र समुदाय में आत्मविश्वास की भावना पैदा करने के लिए सक्रिय कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। इन दोनों दिशानिर्देशों में कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए खेल, योग, ध्यान आदि पर बल दिया गया है। एचईआई, परिसर में वर्ष भर चलने वाले योग कार्यक्रम कैलेंडर, योग पर समर्पित पाठ्यक्रम आदि शुरू करके, शैक्षणिक जीवन में योग के एकीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं।

उच्चतर शिक्षा विभाग ने मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहार्यता और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण की शुरुआत की है। इसमें ऑनलाइन और व्यक्तिगत सत्र, नवीन मानसिक स्वास्थ्य प्रथाओं वाली संस्थाओं का दौरा और वार्षिक राष्ट्रीय कल्याण सम्मेलन शामिल हैं। इसका लक्ष्य छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का शीघ्र समाधान करने के लिए संकाय को सशक्त बनाना है।

शैक्षणिक संस्थाओं में मानसिक-स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ एवं स्तरोन्नत करने की प्रक्रिया को उचित प्राथमिकता दी गई है।

***